Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 3, Issue 2 - 2018

आपातकाल के समय मानवाधिकारों का संवैधानिक प्रवर्तन

मनोज कुमार सिंह*

शोध सार (Abstract)

मानव अधिकारों को लेकर आज पूरे विश्व में जंग छिड़ी हुयी है। आतंकवाद से प्रभावित देशों में मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होने की वजह से वो भुखमरी और बर्बादी की कगार पर हैं, वहीं जहां मानवाधिकारों का बेहतर प्रवर्तन हो रहा है वो देश विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहां के संविधान में आपातकाल की स्थिति में संघात्मक से एकात्मक दशा में परिवर्तित होने का प्रावधान है।

देखा जाए तो संघात्मक से एकात्मक प्रवृत्ति के होने की दशा में देश का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है, लेकिन क्या इसका ये अर्थ है कि राज्य की सरकारों की शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो गयी हैं या फिर राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को अपने मानवाधिकारों के प्रवर्तन का कोई अधिकार नहीं रह गया है। भारत देश में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है जो कार्यपालिका के काम में दखल तो नहीं करता है, लेकिन मानव अधिकार के विरुद्ध बनाए गए कानून को निरस्त करने की शक्ति रखता है। यही वजह है कि भारत में आपातकाल की स्थिति में भी भारत में रहने वाले लोगों को अपने मानव अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है और वो चाहें तो राष्ट्रपति के आपातकाल के फैसले के खिलाफ भी न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।

सूत्रशब्द: मानव अधिकार, आपातकाल, संविधान, सुप्रीम कोर्ट।

प्रस्तावना

भारत के संविधान में मानवाधिकारों के विभिन्न सिद्धान्तों तथा विभिन्न अभिसमयों व नयाचारों को अंगीकृत किया गया है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार इसके प्रमाण हैं। यह वही मूल अधिकार हैं जिनका उल्लेख मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा एवं अन्य अभिसमयों में किया गया है।[1]

[1]**बसन्ती लाल बावेल, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार** (2014), **दूसरा संस्करण, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि.,पेज नं.** 485.

***शोधार्थी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर।**
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबन्ध भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का संकेत देते हैं जो मानव अधिकारों की आधारशिला है। संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध उल्लिखित हैं। संविधान में इन उपबंधों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है।

आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। सामान्य समय में राजनैतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्‌वितीय विशेषता है।[2]

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल के उपबंध का प्रावधान है। ये उपबंध निम्नलिखित हैः-

1. युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात।
2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात।
3. वित्तीय आपात।

भारतीय संविधान के आपातकाल के तीन उपबंधों में से वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं हुआ है जबकि अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग हो चुका है। आपातकाल में भी मानव अधिकारों का प्रवर्तन हो सके इसके लिए समय समय पर संविधान में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद संशोधन किए गए हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अक्सर केंद्रीय सरकारें राज्य सरकारों के विरुद्ध हथियार के रूप में करती रही हैं, लेकिन इसके लिए भी मानवाधिकारों के हित में यह निर्णय न्यायालय ने दिया है कि राष्ट्रपति शासन की उद्‌घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात

अनुच्छेद 352 यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधन हो जाए कि गम्भीर आपात विद्‌यमान है जिससे देश की सुरक्षा संकट में है तो वह ऐसी घोषणा कर सकता हैं कि संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में आपातकाल लागू होगा।[3]

राष्ट्रपति आपात की उद्‌घोषणा तभी जारी करेंगे जब उन्हें मंत्रीमण्डल का लिखित विनिश्चय प्राप्त हो जाए। यानि की पूरे मंत्रीमण्डल के परामर्श से, ना कि केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर, जैसा कि वर्ष 1975 में हुआ था।

अनुच्छेद 352 में प्रयुक्त पदावली "राष्ट्रपति का समाधान" यह इंगित करती है कि आपात उद्घोषणा के लिए पर्याप्त परिस्थितियां विद्‌यमान हैं या नहीं। अथवा संकट की आशंका सन्निकट है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति स्वयं ही करेगा।

न्यायालय ने कुछ न्यायिक निर्णयों में यह मत व्यक्त किया था कि राष्ट्रपति के समाधान की जांच की जा सकती है।

[2]एम लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था (2015), चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन प्रा. लि., पेज नं 16.1
[3]जय नारायण पांडेय, भारत का संविधान, 44वां संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं 672.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

42वें संविधान संसोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में एक नया खण्ड जोड़कर राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर कर दिया गया था। किन्तु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा उक्त नए खण्ड को निकाल दिया गया।अब आपात उद्घोषणा की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन का भी निलम्बन हो जाता है।

वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि भविष्य में आने वाली सरकारें आपात शक्तियों का दुरूपयोग ना कर सकें। इस अधिनियम का उद्देश्य 1975 में घटी घटनाओँ की पुनरावृत्ति को रोकना है, जैसा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना पर्याप्त कारण के आन्तरिक अशान्ति के आधार पर आपात उद्घोषणा की थी और लाखों निर्दोष व्यक्तियों को 19 माह तक जेल में रहना पड़ा था।[4]

आपात उद्घोषणा का प्रभाव[5]

1. संघ द्वारा राज्यों को निर्देश

केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार। किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश देना और राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आवश्यक निर्देश दे सकता है।

2. संघ द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति

आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के समय संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

3. वित्तीय संबंधों में परिवर्तन

राष्ट्रपति आदेश द्वारा जैसा कि वह उचित समझे, अनुच्छेद 268 से 279 तक में उपबंधित केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों में परिवर्तन कर सकता है। ऐसे प्रत्येक आदेश को यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4. लोकसभा की अवधि में वृद्धि

आपातकाल में संसद लोकसभा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है और आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के पश्चात 6 महीने बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगी (अनु.83(2))

5. अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलम्बन

संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद 19 की किसी बात से राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने की अथवा कार्यपालिका को कोई ऐसी कार्यवाही करने की शक्ति अनुच्छेद 13 के उपबन्धों के अधीन नहीं होगी।

[4]जय नारायण पांडेय, भारत का संविधान, 44वां संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं 674.
[5]जय नारायण पांडेय, भारत का संविधान, 44वां संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं 674.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

अनुच्छेद 13 राज्य की विधायिका शक्ति पर अंकुश लगाता है जिसके अनुसार राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं निर्मित कर सकता है जो मूल अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो।

आपातकाल में राज्य के उपर से यह प्रतिबन्ध समाप्त हो जाता है। राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे मूल अधिकारों के विपरीत हैं या उनके उल्लंघन में बनी हैं।

विदित है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकारों का निलंबन हो जाता है, वे समाप्त नहीं होते हैं और जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है वे पुनः प्रभाव में आ जाते हैं।

मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए संविधान में यह भी उपबंध किया गया है कि आपातकाल के दौरान किए गए कृत्यों के विरूद्ध आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 358 में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए है:[6]-

1. यह कि, अब अनुच्छेद 358 के अधीन अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को युद्ध या वाह्य आक्रमण से देश को संकट के आधार पर आपात उद्घोषणा होने पर ही निलंबित किया जा सकेगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं।
2. अनुच्छेद 358 में खण्ड (2) जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि खण्ड (1) की कोई बात किसी विधि या उसके अधीन किए गए किसी कार्यपालिका के कार्य पर लागू नहीं होगी जिसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि ऐसी विधि या कार्यपालिका के कार्य आपात उद्घोषणा से संबंधित हैं।

इस प्रकार 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 358 के अधीन केवल उन्हीं विधियों को न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से संरक्षण मिलेगा जो आपात उद्घोषणा से संबंधित हैं।

अन्य विधियों की विधिमान्यता को भी आपात के दौरान न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। इस 44वें संशोधन के पूर्व अन्य विधियों की विधिमान्यता को भी आपात के दौरान न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

एम.ए.पाठक बनाम भारत संघ[7]

इस वाद में अनुच्छेद 358 मे प्रयुक्त पदावली "वे बातें जो की गयीं या की जाने से छोड़ दी गयी थीं" के प्रभाव के विषय में उच्चतम न्यायालय को विचार करने का अवसर मिला।

उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आपात उद्घोषणा का प्रभाव यह होता है कि अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं होते है वरन उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित होता है।

संक्षिप्त में विधिक दावे आपात उद्घोषणा मात्र से रद्द नहीं हो जाते हैं, उनको केवल अनुच्छेद 358 और 359(1) के प्रवर्तन काल में विधि बनाकर ही निलंबित किया जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 358 में स्पष्ट रूप से नागरिकों के मानव अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान है जिसकी व्याख्या समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती रही है।

---

[6]जय नारायण पांडेय, भारत का संविधान, 44वां संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं 675.
[7]AIR 1978 SC 803.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

6. अनु. 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन[8]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल में राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि भाग-III द्वारा दिए गए अधिकारों में से ऐसों को प्रवर्तित करने के लिए, जैसा कि उस आदेश में वर्णित हो, किसी न्यायालय के प्रचालन का अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय में लिखित कार्यवाहियां उस अवधि के लिए जैसा कि आदेश में उल्लिखित की जाएं, रहेंगी।

संविधान के 38वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा अनुच्छेद 359 में एक नया खण्ड जोडा गया है जो यह उपबन्धित करता है कि यहां खण्ड-एक के अधीन भाग तीन में वर्णित किसी अधिकार के निलंबन की घोषणा प्रवर्तन में है तो भाग तीन की कोई भी बात राज्य का कोई कानून बनाने या कार्यपालिका की कार्यवाही करने की शक्ति पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा जिन्हें राज्य उस भाग के उपबन्धों के अधीन करने में सक्षम है।

अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 आपात उद्घोषणा पर स्वतः निलंबित हो जाता है जबकि अनुच्छेद 359 का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति संविधान के भाग-3 द्वारा प्रदत्त किसी भी मूल अधिकार को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराने के अधिकार का निलम्बन कर सकता है।

माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य[9]

इस वाद में प्रत्यर्थी द्वारा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम की विधिमान्यता को चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति के आदेश परिणामस्वरूप पिटिशनर के किसी भी अधीन न्यायालय में जाने के अधिकार का निलम्बन हो जाता है।

न्यायालय ने अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 359 की तुलनात्मक विवेचना निम्नानुसार की हैः-

1. अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और आपात समाप्ति पर वे पुनः पुर्नजीवित हो जाते हैं। परंतु अनुच्छेद 358 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, उनका प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित होता है।
2. अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे भारत में निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359(1) में जारी किए गए आदेश का विस्तार पूरे प्रदेश में या उसके कुछ भाग पर हो सकता है।
3. अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आपातकाल में किए गए कृत्यों को आपातकाल की समाप्ति के पश्चात चुनौती नहीं दी जा सकती है, किन्तु अनुच्छेद 359 के अंतर्गत ऐसे कृत्यों को आपातकाल की समाप्ति के बाद चुनौती दी जा सकती है, यदि उनके द्वारा आपातकाल में नागरिकों के किसी अधिकार का अतिक्रमण किया गया है। क्योंकि उस काल में भी ये अधिकार जीवित रहते हैं जबकि क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके उन कृत्यों को वैध ना घोषित कर दिया गया हो।

[8]जय नारायण पांडेय, भारत का संविधान, 44वां संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं 676.
[9]AIR 1964 SC 382.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

किन्तु उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति के आदेश को निम्न आधारों पर चुनौती दी जा सकती है-

1. विद्वेष
2. किसी अन्य अधिकार का अतिक्रमण
3. प्रत्यायोजन

प्रभाकर पांडुरंगा बनाम महाराष्ट्र राज्य[10]

इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी नागरिक को भारत प्रतिरक्षा अधिनियम या उसके अधीन निर्मित किसी नियम के विरूद्ध उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया हो तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत न्यायालय के प्रवर्तन का उसका अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है।

डॉ राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य[11]

इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने डॉ लोहिया के निरोध आदेश को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि निरोध आदेश भारत प्रतिरक्षा अधिनियम में निहीत शर्तों के विरूद्ध था।

एसडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला[12]

इस वाद में बन्दी प्रत्यक्षीकरण के मालमे में प्रत्यर्थियों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) की नई धारा 16(क) के अधीन निरूद्ध किया गया। यह धारा निरूद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार संसूचित करने के लिए वर्जित करती है।

प्रत्यर्थियों की ओर से उच्च न्यायालय में रिट फाइल की गयी कि 27 जून 1975 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359(1) के अधीन जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय में निरूद्ध व्यक्ति अपनी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रवर्तन कराने के लिए याचिका दाखिल नहीं कर सकता है। इलाहाबाद, बम्बई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि आपात स्थिति तथा राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद न्यायालय इस बात की जांच कर सकती है कि क्या निरोध आदेश मीसा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पारित किया गया है या असद्भाविक या गौड़ प्रायोजन के लिए पारित किया गया है।

निर्णय के विरूद्ध केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल किया। उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से से यह निर्णय दिया कि 27 जून 1975 के राष्ट्रपति के आदेश को ध्यान में रखते हुए मीसा अधिनियम के अन्तर्गत आपात के दौरान निरूद्ध किए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पेश करने का अधिकार नहीं है।

न्यायाधिपति श्री खन्ना ने अपना विसम्मत निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद एक निरूद्ध व्यक्ति अपने निरोध आदेश को इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि उसे बिना विधि के प्राधिकार के निरूद्ध किया गया है अथवा निरोध विधि के उपबन्धों का ठीक ठंग से पालन नहीं किया गया है।

[10]AIR 1966 SC 702.
[11]AIR 1966 SC 766.
[12]AIR 1976 SC 1207.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

44वां संविधान संशोधन, 1978[13]

इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में दो संशोधन किए गए-

1. अब अनुच्छेद 359 के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार निलंबित नहीं होंगे।
2. अनुच्छेद 359 के अधीन उन विधियों पर कार्यपालिक आदेश लागू होगा जिनमें इस आशय का उल्लेख होगा कि वे आपात उद्घोषणा से संबंधित हैं।

इस प्रकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद-21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलम्बित करने का अधिकार नहीं होगा।

राज्य में सांविधिनिक तन्त्र की विफलता से उत्पन्न आपात[14]

अनुच्छेद 356 यह उपबंधित करता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा-

1. उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने में ले सकेगा।
2. घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।
3. वह ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबंध बना सकेगा जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनी दिखायी दे।

ऐसी किसी उद्घोषणा को राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है।किन्तु राष्ट्रपति इस उद्घोषणा द्वारा उच्च न्यायालयों से सम्बन्धित किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलंबित नहीं कर सकेगा।

1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह उपबंध किया गया था कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 1978 के के 44वें संविधान संशोधन से इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।[15]

एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ[16]

इस मामले में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए

[13]जय नारायण पांडेय, भारत का संविधान, 44वां संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं 679.

[14]जय नारायण पांडेय, भारत का संविधान, 44वां संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं 681.

[15]एम लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था (2015), चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन प्रा. लि., पेज नं 16.8.

[16](1994) 3 SCC 1.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

की गयी उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है और राष्ट्रपति के समाधान के लिए युक्तियुक्त कारणों का होना एक पुर्ववर्ती शर्त है। न्यायालय इसकी जांच कर सकते हैं कि वे कारण विद्यमान थे या नहीं जिनके आधार पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी।

निष्कर्ष

भारत में देश की सुरक्षा और राजनीतिक अशांति के लिए संविधान में आपातकाल के लिए उपबंध दिए गए हैं। वैसे तो ये उपबंध राष्ट्रपति के आदेश से जारी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन फैसलों को केंद्रीय मंत्रीमण्डल की सलाह के बिना नहीं ले सकता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये आपातकाल के फैसले राजनीतिक सलाह पर टिके रहते हैं और अक्सर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक हथियार के रूप में इन उपबन्धों का इस्तेमाल करती है।

लेकिन अनुच्छेद 352 और 356 के प्रवर्तन के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो इसके लिए भी भारतीय संविधान में प्रबंध किए गए हैं और ये सब न्यायालय की सक्रियता की वजह से हो सका है। न्यायालय ने जीवन के अधिकार और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत न्यायिक निर्णय देते हुए यह विस्तारित किया है कि किन परिस्थितियों में कौन से अधिकार निलंबित होंगे और कौन से अधिकार मान्य होंगे। साथ ही मानवाधिकारों का हनन ना हो इसके लिए राष्ट्रपति शासन के फैसले को न्यायालय में चुनौती देने का भी प्रावधान किया गया है ताकि दूषित फैसले की वजह से आम लोग परेशान ना हों।

भारत में आपातकाल के लिए अब ये उपबंध कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था और अनुच्छेद 21 का भी निलंबन होता था, लिहाजा मानवाधिकारों के प्रति सजग रहने का ही ये प्रतिसाद है कि अब आपातकाल जैसी स्थिति में भी मानवाधिकारों के प्रति सजगता देखी जा रही है।

आपातकाल में भी मानवाधिकार सुरक्षित रह सके और इसका हनन ना हो सके इसके लिए संविधान में संशोधन भी किए गए हैं और 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। यह आपातकाल में मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया कदम है जो भारत में आपातकाल की स्थिति में भी मानवाधिकारों की रक्षा करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. जय नाराय पाण्डेय, भारत का संविधान (2011), 44वां संस्करण, सेंट्रल ला एजेंसी।
[2]. बसन्ती लाल बावेल, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार (2014), द्वितीय संस्करण, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि.
[3]. एम लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था (2015), चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन प्रा. लि.
[4]. बेयर एक्ट, भारत का संविधान।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501